RESEARCH FRONT

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशनः सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन (1944–1947)

मिथिलेश कुमार
मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

1946 का वर्ष दलित आंदोलन के इतिहास का महत्वपूर्ण क्षण था जब संयुक्त प्रांत के दलितों ने विभिन्न क्षेत्रों में एकजुट होकर एक बैनर तले ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के खिलाफ अपनी माँगों को लेकर आंदोलन खड़ा किया। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का उदय सभी दलितों को एक प्लेटफार्म पर लाने का प्रयास था। संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1944 में की गयी जो डॉ0 अम्बेडकर द्वारा 7 सितम्बर 1942 में गठित ऑल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की एक प्रांतीय शाखा थी। संयुक्त प्रांत में यह संगठन आदि हिन्दू महासभा तथा अन्य पूर्ववर्ती संगठनों का उत्तराधिकारी था। इस संगठन की आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, एटा, इटावा, लखनऊ, कानपुर, मेरठ और कुमाऊ आदि जनपदों में शाखाएं थी।[1]

पूना पैक्ट और उसके बाद की गतिविधियों ने दलितों में रोष उत्पन्न कर दिया था। वे इसे विधायिकाओं में दलित प्रतिनीधियों के प्रवेश के लिए बाधक मान रहे थे। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की विभिन्न सभाओं में पूरा पैक्ट के विरुद्ध प्रचार प्रसार किया जाता था। आगरा में 24 नवम्बर 1946 को हुए फेडरेशन के सम्मेलन में यह घोषणा की गयी कि दलितों की सभी समस्यायें तभी हल हो सकती है जब वे देश की राजनीति में स्वतंत्र रुप से भाग लेंगे। यह तभी संभव है जब तक उन्हें अपनी संख्या के अनुपात में अपने राजनैतिक अधिकारों का स्वतंत्रत्रतापूर्वक उपभोग नहीं करने दिया जाता। इस सम्मेलन में पूना पैक्ट के विरुद्ध एक प्रस्ताव भी पारित किया।[2] इसी तरह का एक अन्य सम्मेलन 15 दिसम्बर 1946 को अलीगढ़ में चौधरी परसराम के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ जिसमें करीब 18 गाँवों के दलितों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में भी पूना पैक्ट को रद्द करने, अछूतों का चुनाव ऊँची जाति के हिन्दूओं से पृथक करने तथा असेम्बली कौंसिल मंत्रीमंडल, डिस्टिक्ट बोर्ड, चुंगी, न्यायालयों आदि सभी सरकारी विभागों में 11 करोड़ अछूत जातियों के सम्पूर्ण प्रतिनीधित्व की माँग ब्रिटिश सरकार से की गयी।[3]

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन विधायिकाओं में प्रतिनीधित्व तथा मंत्रीपदों और प्रशासन में आरक्षण पाकर यानि राजनीतिक सत्ता पाकर स्वतंत्र भारत के नीति निर्धारकों में भी भागीदारी चाहती थी। इसलिए यह आवश्यक हो गया था कि अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्ताक्षरण में दलित की भी भागीदारी निश्चित की जाय। इन मुद्दों को लेकर फेडरेशन ने देशभर में आंदोलन प्रारंभ किये। उनकी तीन मुख्य माँगे थी (1) स्वतंत्र भारत में अछूतों की क्या स्थिति होगी, कांग्रेस यह बताए (2) पूना पैक्ट को रद्द किया जाय (3) अछूतों को पृथक मानकर इन्हें पृथक चुनाव का अधिकार दिया जाय। फडरेशन की अपेक्षाओं के अनुरुप अंग्रेज भी दलितों के विषय में एक निश्चित राय बना चुके थे। जैसा कि वेवल की टिप्पणी से प्रतीत होता है। लार्ड वेवल ने 15 अप्रैल,1944 के अपने पत्र में कहा कि अनुसूचित जातियाँ भारत के राष्ट्रीय जीवन में महत्वपूर्ण है और वे अलग घटक है, इसलिए जब भारत की सत्ता सौपी जाये तो उनकी राय और सहमति लेना अनिवार्य है। इसके पूर्व लार्ड लिनलिथगों ने 1940 में शेड्यूल्ड कास्ट् की माँगों के समर्थन में इसी प्रकार का बयान दिया था।[4]

डा0 अम्बेडकर के अनुसार कैबिनेट मिशन के प्रतिनीधियों का उनके प्रस्तावों पर 15 अप्रैल 1946 की बैठक में सकारात्मक दृष्टिकोण था।[5] इसके बावजूद शेड्यूल्ड कास्ट्स के प्रतिनीधियों को कैबिनेट मिशन के शिमला में आयोजित महत्वपूर्ण बैठक में नहीं बुलाया गया। ब्रिटिश सरकार ने, बाद में कांग्रेसवादी दृष्टिकोण को स्वीकार करते हुए शेड्यूल्ड कास्ट को हिन्दू समाज का अभिन्न अंग बताया।[6] कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा के निर्वाचन के लिए प्रांतीय विधायिकाओं के अन्तर्गत तीन समुदायों के निर्वाचक समूहों को प्रस्तावित किया–सामान्य, मुस्लिम और सिख तथा शेड्यूल्ड कास्ट के रुप में दलितों की पृथक समुदाय को स्वीकार नहीं किया गया। शेड्यूल्ड कास्ट और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के हितों की रक्षा के लिए कुछ छूटे या रियायते देने हेतु एक सलाहकारी कमेटी प्रस्तावित संविधान के अन्तर्गत गठित की गयी।

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

आगरा मण्डल में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन अपनी स्थापना 1944–45 से ही सशक्त स्थिति में था। यद्यपि कि 1940 के दशक के प्रारंभ में शिक्षित जाटवों को कुछ नयी समस्याओं सामने आयी जो राष्ट्रीय आंदोलन तथा स्वतंत्रत भारत में जाटवों की स्थिति को लेकर थी। लिंच का कहना है कि ये स्थिति तीन बातों को लेकर थी। प्रथम, स्वतंत्रता आंदोलन के नेता जो उदारवादी, धारणाओं के आधार पर जाटवो को प्रजातंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और योगदान के आधार पर अपने पक्ष में कर रहे थे। दूसरी धारणा थी कि भारत को स्वतंत्रता तो होना है और स्वतंत्रता आसन्न है "यदि भारत स्वतंत्र होता है तो जाटवों को भी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र होना चाहिए।" तीसरी नयी विचारधारा जो अम्बेडकर के विचारों को समर्थन दे रही थी जो कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉ0 अम्बेडकर के पक्ष में पत्र भेजने में देखा गया। यह जाटवों में महत्वपूर्ण पहलू बनकर उभर रहा था। लिंच आगे कहते है कि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने जाटवों के सामाजिक स्थिति को नये ढंग से परिभाषित किया। परिणामस्वरुप वे अपने आपको शेड्यूल्ड कास्ट के रुप में चिन्हित किये जो जनसंख्या का शोषित, अप्रबुद्व तथा पिछड़ा तबका था। शेड्यूल्ड कास्ट की इन विशेषताओं ने जाटवों में एक नयी पहचान को निर्मित किया, यह उनके क्षेत्रिय पहचान अभियान से बिल्कुल असाधारण था।[7]

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने चुनावों में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की। 1945 के संयुक्त प्रांत लेजिस्लेटिव असेम्बली के चुनाव में आगरा नगर निर्वाचन क्षेत्र से शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की ओर से करन सिंह केन को चुनाव में खड़ा किया गया जो 1936 के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी थे। इसी प्रकार आर0एस0श्याम लाल इलाहाबाद से फेडरेशन के प्रत्याशी थे जो 1936 मे स्वतंत्र उम्मीदवार के रुप में चुनाव लड़े थे।[8] पूना पैक्ट की प्रक्रिया के तहत 1945 के चुनाव हुए। करन सिंह केन के समर्थन में प्रत्येक वार्ड के जाटवों और दूसरे अनुसूचित जाति के लोगों ने लगन और उत्साह से भाग लिया। नगला महादेव, नकासा, छऊआन, जीवनी मंडी, नामनेर, टीला हुसैन खाँ आदि स्थानों पर वृहद सभाओं का आयोजन हुआ। जाटव, खटिक, रजक, बाल्मीकी आदि सभी जातियों ने संगठित रुप से फेडरेशन के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी शक्ति और एकता का परिचय दिया।[9] चुनाव परिणामों में कांग्रेस के चार सदस्य चुने गये जबकि दूसरी ओर संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के सभी नौ सदस्य चुने गये, जो कांग्रेस के चुने गये सदस्यों के दुगने से भी ज्यादा थे। उनका प्रदर्शन आगरा और इलाहाबाद में कांग्रेस से भी बेहतर था। आगरा में कांग्रेस और फेडरेशन ने चार–चार प्रत्याशियों को चुनाव क्षेत्र में उतारा था। इसके अलावा एक हिन्दू महासभा और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव क्षेत्र में थे। कांग्रेस के चारों प्रत्याशियों को 27.1: वोट मिला जबकि शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के प्रत्याशियों को 46. 39:। 10 परिणामों में से 4 फाइनल हुए। उन चार में से दो संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के करन सिंह केन (24:)और राम नरायण (22:), एक कांग्रेस के रामचंद्र सेहरा (26.9:) तथा एक हिन्दू महासभा के प्यारे लाल (4.5:) थे।

इलाहाबाद में फेडरेशन और कांग्रेस ने चार–चार सदस्य चुनाव क्षेत्रों में उतारे, जहाँ कांग्रेस (51.27:) आगे रही वही फेडरेशन के सदस्यों को 48.24: मत मिले। फाइनल में चार प्रत्याशियों में से कांग्रेस के एकमात्र सदस्य मसूरियादीन (49.4:) जीते। जबकि फेडरेशन को तीन सीटें मिली, जिनके नाम है–आर0एस0श्याम लाल (19.4:) प्रभुदयाल(10.49:) और कल्लन(10.4:)।[10] संयुक्त प्रांत के प्रथमिक चुनाव में कांग्रेस और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के सदस्यों की संख्या एवं मतदान प्रतिशत निम्न प्रकार थी।[11]

छल	उम्मीदवारों की संख्या	परिणाम	मतदान प्रतिशत
कांग्रेस	11	4	41-7
भोड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन	9	9	30-5

इन चुनाव परिणामों के बाद द्वितीय चरण सामान्य निर्वाचन जोर शोर पकड़ने लगा। डॉ0 अम्बेडकर ने 10 मार्च 1946 को बेकर पार्क, आगरा में संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित सभा को सम्बोधित किया। इस सभा के स्वागत समिति की अध्यक्षता करते हुए राय साहेब डा0 मानिक चंद जाटववीर ने गाँवों में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार को समाप्त करने के लिए संयुक्त प्रांत की सरकार को कड़े नियम बनाने की सलाह दी।[12] डॉ0 अम्बेडकर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि "यह सम्मेलन मौजूदा प्रांतीय चुनावों के प्रश्न पर विचार करने के लिए हो रहा है। शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की ओर से हर एक प्रांत में उम्मीदवार खड़े किये गये है और

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

उनका विरोध करने के लिए कांग्रेस ने हममें से ही कठपुतले खड़ कर दिये है, जो इस लायक भी नहीं है कि वे दफ्तर में एक चपरासी का काम भी कर सके।" स्वराज के संबंध में उन्होंने कहा कि अगर स्वराज का मतलब यह है कि हर एक अल्पसंख्यक जाति को भी बहुसंख्यक हिंदू जाति के साथ राजसत्ता के भोगने का अधिकार मिले तो हम भी ऐसे स्वराज को चाहेंगे। लेकिन अगर स्वराज का मतलब यह है कि हिन्दू जाति मुसलमानों, दलित जातियों व दूसरी जातियों पर हुकूमत करे तो हम ऐसे स्वराज का विरोध करेंगे। पूना पैक्ट के बाद की स्थिति पर विचार करते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने बताया कि 1937 में जो कांग्रेसी सरकार संयुक्त प्रांत में बनायी गयी उसमें दलित वर्ग के 16 चुने गये प्रत्याशियों में कोई भी दलित मंत्री नहीं था।[13]

10 मार्च 1940 को संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन स्पेशल कांफ्रेंस द्वारा जिन प्रमुख मुद्दों या प्रस्तावों को स्वीकार किया गया वे निम्नवत् थे[14]–

1. प्रथम प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश कैबिनेट मिशन का स्वागत करते हुए उन माँगों को दुहराया गया जो भारत के नए शासन–विधान के संबंध मे ऑल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की कार्य समिति ने सितम्बर, 1944 में स्वीकार की थी। और यह मांग पेश की कि अनुसूचित जातियों को एक पृथक और भिन्न समुदाय के रुप में स्वीकार किया जाय।
2. दूसरे प्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की गयी कि विधान बनाने वाली परिषद में पूनापैक्ट के आधार पर प्रतिनिधित्व को चुनकर भेजना दलित जातियों के हितों को खतरे में डालना है। अतः ऐसी विधान परिषद का विरोध करना चाहिए।
3. तीसरे प्रस्ताव द्वारा मौलिक अधिकारों की घोषणा की गयी। इनमें उच्च शिक्षा के निमित्त सरकारी बजटों में एक निश्चित रकम निर्धारित करना, अनुसूचित जातियों के लिए नये गाँव बसाना और धारा सभाओं, चुंगियों, पंचायतों, सरकारी नौकरियों, मंत्रिमण्डलों, पब्लिक सर्विस कमीशन आदि में पृथक निर्वाचन के आधार पर प्रतिनिधित्व वि ोष उल्लेखनीय है।
4. चौथे प्रस्ताव द्वारा पूरा पैक्ट का विरोध किया गया।
5. पाँचवे प्रस्ताव द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा चुनाव में दलित जातियों के वोटरों पर जो ज्यादतियाँ की गयी है, अनुचित दबाव व हिंसा का प्रयोग किया गया, उसकी कड़े शब्दों में निंदा की गयी और यह घोषणा की गयी कि पूना पैक्ट के अन्तर्गत जो उम्मीदवार चुने गये है, वे दलित जातियों के प्रतिनिधि नहीं है।
6. छठे प्रस्ताव द्वारा यूपी सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह दलित छात्रों को इंग्लैण्ड, अमेरिका और यूरोप में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने की व्यवस्था करें।
7. सातवें प्रस्ताव में बेगार का विरोध किया गया और संयुक्त प्रांत की सरकार से अनुरोध किया गया कि वह ग्रामों में रहने वाली दलित जातियों की आर्थिक दशा और खेतिहर मजदूरों की आर्थिक जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करे और यह कमेटी उनकी दशा सुधारने के लिए उचित सिफारिश भी करे।
8. आठवें प्रस्ताव में ग्वालियर राज्य के भिण्ड जिले में एक जागीरदार द्वारा बेगार न देने पर गेंदालाल जाटव की निर्दयतापूर्वक हत्या करने की निंदा की गयी और महाराजा साहब से प्रार्थना की गयी कि वह इस मामले में न्याय करे तथा बेगार को दूर करने की कृपा करें।
9. नवें प्रस्ताव द्वारा डा0 अम्बेडकर के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट किया गया।
10. दसवें प्रस्ताव द्वारा सरकार से यह अनुरोध किया गया कि वह दलित जाति के उन उम्मीदवारों को सिविल सर्विसों में ऊँचे स्थायी पद देने की कृपा करें जिन्होंने युद्ध काल में सेना में भरती होकर सेवाएं की थी।

12 मार्च 1946 को चुनाव के दिन आगरा में सभी पोटिंग स्टेशनों पर फेडरेशन का काफी जोर शोर था। इस उत्साह और जोश को देखकर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने फेडरेशन के समर्थकों एवं कार्यकताओं एवम् वोटरों पर ईंट पत्थर बरसाए जिनमे दर्जनों दलितों को चोटें आयी। हर पोलिंग स्टेशन पर फेडरेशन के उम्मीदवार करन सिंह केन को वोट देने वाले लोगों को तरह–तरह की धमकियाँ दी गयी और उन्हें मारा पीटा गया। इतना ही नहीं करन सिंह केन के घर 12 मार्च की शाम को हमला किया गया। इसी प्रकार की घटनाएं कानपुर और अन्य क्षेत्रों में भी घटी तथा चुनाव पर इनका प्रभाव पड़ा। हजारों की संख्या में वोटर वोट देने से वंचित रह गये।[15] किन्तु इन सामान्य चुनावों

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

में फेडरेशन के सभी उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवारों से हार गये। हिन्दुओं ने कांग्रेस के दलित उम्मीदवारों को इस आशा के साथ वोट दिये कि फेडरेशन के उम्मीदवारों को हराया जा सके।[16]

चुनाव परिणामों के बाद संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन संयुक्त चुनाव प्रणाली के ज्यादा विरोध में हो गयी । 1940 और 1947 के दौरान फेडरेशन ने पूना पैक्ट और कांग्रेस, कैबिनेट मिशन अवार्ड, बेगारी प्रथा के उन्मूलन, दलितों को भूमि, मुक्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में आरक्षरण दिये जाने की माँग को लेकर सत्याग्रह शुरु करने का फैसला किया।[17] इसलिए इसने जून, 1946 के प्रथम सप्ताह में संयुक्त प्रांत के 23 जिलों में से 10 में एक लम्बा आंदोलन नवम्बर 1946 तक चलाया। फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष तिलक चंद कुरील ने कानपुर में दलितों को संगठित किया तो डॉ0 मानकचंद ने फिरोजाबाद में, फकीरचंद ने सहारनपुर, आजमगढ़ और गोरखपुर में, प्यारे लाल कुरील तालिब ने लखनऊ में तथा स्वामी चमनानंद ने एटा और इटावा में फेडरेशन का प्रचार किया तथा दलितों को उनके अधिकारों के प्रति सजग किया।[18] फेडरेशन ने जुलाई–अगस्त 1946 तथा मार्च–मई 1947 को लखनऊ में दो आंदोलन किये। 16 जुलाई से 16 अगस्त 1946 को सत्याग्रही विधानसभा के सामने प्रत्येक कार्य दिवसों के समय ही धरने पर बैंठ जाते थे और इस्तेहारों तथा नारों जैसे "पूना पैक्ट को वापस लो" से अपनी आवाजों को बुलंद करते थे।[19] प्रमुख दलित नेताओं जैसे प्यारे लाल तालिब, बिहारी लाल जैसवार, तिलक चंद कुरील, शंकरानंद शास्त्री को उनके भाषणों के बाद शीध्र ही गिरफ्तार कर लिया गया। सत्याग्रह के प्रथम दिन 222 दलित सत्याग्रहियों को भी गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार का सत्याग्रह 17, 18, 22, 24 और 29 जुलाई 1946 को किया गया। एक पखवाड़े के बाद संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने एक अन्य सत्याग्रह 11 अगस्त को शुरू किया तब 45 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया।[20] हालाँकि ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बम्बई की शाखा ने 28, जुलाई 1946, को आंदोलन स्थगित कर दिया था क्योंकि पूना की विधान सभा का सत्र स्थगित हो गया था, लेकिन संयुक्त प्रांत शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन ने 15 अगस्त 1946 तक आंदोलन जारी रखा जब तक कि ऐसेम्बली स्थगित न हो गयी।[21] इसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन प्रांत के अन्य जिलों एटा, इटावा, कानपुर, फर्रुखाबाद, फैजाबाद, अलीगढ़, आगरा, फतेहगढ़, गोरखपुर और आजमगढ़ में हुआ।[22]

इसी समय पहली बार व्यापक स्तर पर दलित एकता पूना पैक्ट के मुख्य मुद्दे को लेकर आंदोलित थी। पूना पैक्ट को कांग्रेस के अप्रजातांत्रिक चरित्र के रुप में पेश किया गया। कई स्थानों पर फेडरेशन के कार्यकर्ताओं ने इसकी प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली जिसमें उन्होंने पूना पैक्ट की प्रतियों के साथ–साथ कांग्रेसी प्रतीकों जैसे खादी और गाँधी टोपी आदि को फूँका।[23]

आंदोलन का दूसरा चक्र आगरा से आंदोलनकारियों को संगठित करने के लिए अगस्त के प्रथम सप्ताह से शुरु हुआ। मानिक चंद, उनकी पत्नी, तथा आगरा शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष गोपीचंद पिपल ने 150 आंदोलनकारियों को सितम्बर के मध्य में फेडरेशन से जोड़ा।[24] स्थानीय नेताओं द्वारा एटा, इटावा और फरुखाबाद में भी सम्मेलन किये गये । फतेहगढ़ की एक बैठक में एक पम्पलेट बाँटा गया, जिसमें लिखा था–'अलार्म बेल अर्थात खरते की घंटी' जिसमें दलितों को चेतावनी दी गयी कि वे कांग्रेस में शामिल न हो बल्कि 'आन्दोलन के लिए तैयार हो।'[25] इस आंदोलन में डॉ0 अम्बेडकर को गांधी नहेरु, जगजीवन राम की जगह दलित नेता के रुप में महत्व दिया गया। हमीरपुर और आगरा में गाँधी जी को दलितों का विश्वासघाती तथा दलितों को भ्रमित कर कांग्रेस में शामिल करने का दोषारोपण लगाया गया।[26] मुरादाबाद में अनुसूचित जातियों का 'सच्चा प्रतिनिधि नेता डा0 अम्बेडकर' के नाम से एक प्रस्ताव पास किया गया।[27] इसी प्रकार के प्रस्ताव फैजाबाद, एटा, इटावा और इलाहाबाद में भी पारित किये गयें। अम्बेडकर का नेतृत्व तथा उन्हें अपना सच्चा प्रतिनिधित्व स्वीकार करना नये दलित पहचान की अनोखी विशेषता बन गयी।

शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन आंदोलन का दूसरा चरण मार्च–अप्रैल 1947 को कांग्रेसी सरकार तथा विधान सभा के अप्रजातांत्रिक रवैये को लेकर शुरु हुआ। आगरा के फिरोजाबाद में 1–2 मार्च 1947 को हुए वार्षिक सम्मेलन में 25 हजार दलितों की उपस्थिति में आंदोलन शुरु करने की घोषणा की गयी।[28] एक बार फिर विधान सभा की कार्यवाहियों के समय ही 25 मार्च 1947 को आंदोलन शुरु हुआ।[29] 26 मार्च 1947 को कुछ प्रदर्शनकारी मानिकचंद के नेतृत्व में कौंसिल चेम्बर में घुस गये, जहॉ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य प्रमुख नेताओं गोपीचंद पिपल, तिलक चंद कुरील, स्वामी चमनानंद जो आंदोलन के अगुआ थे, सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आंदोलन में पहले चरण की अपेक्षा दलितों की अधिक भागीदारी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1407 आंदोलनकारी गिरफ्तार किये गये जिसमें

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

12 महिलाएं शामिल थी। प्रांत के सभी भागों से कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल थी। प्रांत के सभी भागों से कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल होने के लिए आये थे।[30] सरकार को आन्दोलन को रोकने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। यह सारा घटनाक्रम सरकार शांत करना चाहती थी, ताकि अछूतों के आंदोलन ब्रिटिश लोगों का कम से कम ध्यान खीचे क्योंकि मई 1947 तक भारत के स्वतंत्र होने की पूरी संभावना थी। 28 अप्रैल 1947 को संविधान निर्माण सभा ने छुआछूत को समाप्त करने का बिल पास किया और छूआछूत को अपराध घोषित किया।

संदर्भ

1. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, ऑफ द गर्वनमेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश 1945, 1946।
2. जीवन (संपादक– बलवंत सोनी) आगरा, 24 नवम्बर 1946।
3. पूर्वोद्धत, 15 दिसम्बर 1946।
4. एन इम्पोर्टेंट स्पीच इन व्हिच द ब्रिटिश फार्मली आफर्ड डोमोनियन स्टेट्स टू इण्डिया, स्पीचेज बाई द मार्कास ऑफ लिनलिथगो, वाल्यूम 2, नवम्बर 1938–अक्टूबर 1943, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1994 पृ0 64–68।
5. बी0आर0 अम्बेडकर, *ए क्रिटिक ऑफ द प्रपोजल्स ऑफ द कैबिनेट मिशन,* इन बसंत मून (सं0) *डॉ0 अम्बेडकर राइटिंग एण्ड स्पीचेज,* गर्वनमेंट ऑफ महाराष्ट्र, वाल्यूम–ग 1991, पृ0–538।
6. पेपर्स रिलेटिंग टू द कैबिनेट मिशन टू इण्डिया 1946, गर्वनमेंट ऑफ इण्डिया, नेशनल आर्काइव ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली, 1946, पृ0–100।
7. ओवेन, एम0 लिंच, *द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटीः सोशल मोबिलिटी एण्ड सोशल चेंज इन ए सिटी ऑफ इण्डिया,* कोलम्बिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1969, पृ0–86।
8. पी0डी0 रीव, बी0डी0 ग्राहम एवं जे0एम0 गुडमैन, *ए हैण्डबुक टू इलेक शन इन उत्तर प्रदश, 1920–51,* मनोहर बुक सर्विस, दिल्ली, 1975, पृ0 318–319
9. संयुक्त प्रांतीय शेड्यूल्ड कास्ट्स स्पेशल कांग्रेस, आगरा की स्वगत समिति की रिपोर्ट, 10 मार्च 1946, पृ0 8–9
10. एस0एस0 गौतम एवं अनिल, *ऑल इण्डिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया,* गौतम बुक सेंटर, दिल्ली, 2013, पृ0 52–53
11. दिगम्बर हरिराम शेंडे, *डॉ0 अम्बेडकर के दल की विजय,* एल0एस0 पटेल प्रिंटिंग प्रेस, सीतावर्डी, नागपुर 1966, पृ0 10–11
12. संयुक्त प्रांतीय शेड्यूल्ड कास्ट्स स्पेशल कांफ्रेंस, आगरा की स्वागत समिति की रिपोर्ट, 10 मार्च 1946, पृ0 2
13. पूर्वोद्वत पृ0 3–4
14. पूर्वोद्वत पृ0 5–6 और देखें, प्रेम प्रदीप शीलंकर, बाबा साहब डा0 अम्बेडकर के आगरा में दो भाषण (अप्रकाशित हस्तलिपि) आगरा, 1966, पृ0 4–8
15. पूर्वोद्वत पृ0 7–8
16. पूर्वोद्वत, पृ0 9–10
17. एस0 राम नरायन रावत, *मेकिंग क्लेम्स फॉर पावरः ए न्यू एजेंडा इन दलित पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, 1946–48,* मार्डन एशियन स्टडीज, 37, नं0–3 (2003), पृ0 604–12
18. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 1946
19. द पाइनियर, जुलाई 16, अगस्त 16–30, 1946
20. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंनवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 16 अगस्त 1946
21. द पाइनियर, 17,18,19,23,25,29 तथा 30 जुलाई तथा 16 अगस्त 1946
22. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 8 फरवरी, 21,27 जून, 5,26 जुलाई, 2,9,16,23 अगस्त, 6 सितम्बर 1946
23. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, फरवरी 8, जुलाई 26, नवम्बर 8, 1946

ISSN
(Print) 2320 – 6446, (Online) 2320 – 8341

24. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 9 अगस्त तथा 20 सितम्बर 1946
25. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 30 अगस्त 1946
26. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, क्रिमिनल इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 20, 27 सितम्बर तथा 18 अक्टूबर 1946
27. वीकली पुलिस एवेस्ट्रेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंवेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, लखनऊ, 8 नवम्बर 1946
28. द डॉन, 6 मार्च 1947, द पाइनियर 9 मार्च 1947, जीवन, 8 मार्च 1947
29. द पाइनियर 26 मार्च 1947
30. द डॉन, 28 अप्रैल, 1947